दिनांकः 22.04.2022 से 02.11.2022 तक सील किये गये भवनो की सूची।

क्र.सं.	जोन	सील किये गये भूखण्ड का पता	सील करने की दिनांक	सील करने के कारण	व्यावसायिक /आवासीय	वर्तमान स्थिति
1.	13	खसरा नं. 2–10 व 15 से 20 में ग्राम–आकेडा डूंगर लक्ष्मीनारायणपुरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे के पास।	05.05.2022	जोन–13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित में ग्राम–आकेडा डूंगर लक्ष्मीनारायणपुरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे के पास खसरा नं. 2–10 व 15 से 20 में करीब 440 वर्गगज कृषि भूमि पर जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिना भूरूपान्तरण कराये रातों–रात व्यावसायिक प्रयोजनार्थ से एक दूसरे से लगते हुये लगातार 08 अवैध विलाजो का ढांचा खडा कर फिनिशिंग का कार्य करने पर दिनांक 13.04.2022 को अवधान में आते ही जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबन्द किया गया आगे अवैध निर्माण नहीं होने देने हेतु मौके पर गार्ड नियुक्त किये गये। उक्त अवैध निर्माण को नहीं हटाने पर व पूर्ण होकर रहवास होने की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 30.04.2022 को धारा 34(क) जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर नियमानुसार उक्त अवैध व्यावसायिक 08 विलाज के प्रवेश द्वारो, सिढ़ीयो को जविप्रा की इंजिनियरिंग शाखा से ईटो की दीवारो से चुनवाकर गेटो पर ताला सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक 08 विलाज	वर्तमान में सील है।
2.	13	खसरा नं. 163, 164, 165, 166, 283 बधाला की ढ़ाणी ग्राम–उदयपुरियां तहसील आमेर।	07.06.2022	जोन–13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित बधाला की ढ़ाणी, ग्राम–उदयपुरिया, टोडी–मोड, तहसील–आमेर के निजी खातेदारी कृषि भूमि में खसरा नं. 163, 164, 165, 166, 283 के हिस्सेदार ने कृषि भूमि पर जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिना भू–रूपान्तरण कराये करीब 110 बाई 95 फीट में बैसमेन्ट और दो मंजिला ढ़ाचा खडा कर तीसरी मंजिल हेतु पिल्लर निकालकर निर्माणाधीन वृहद अवैध स्कूल हेतु अवैध निर्माण किये जाने पर अवधान में आते ही दिनांक 14.05.2022 को जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु पाबन्द किया गया; समय–समय पर जप्तियां की गयी। आगे अवैध निर्माण नहीं होने देने हेतु मौके पर गार्ड नियुक्त किये गये। कृषि भूमि पर किये गये उक्त वृहद अवैध निर्माण के पूर्ण होकर व्यावसायिक गतिविधियों के प्रारम्भ किये जाने की प्रबल समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 06.06.2022 को धारा 34(क) जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर नियमानुसार दिनांक 07.06.2022 को उक्त अवैध निर्माण के प्रवेश द्वारो, सिढीयों, खिडकियों इत्यादि को जविप्रा की इंजिनियरिंग विंग की सहायता से ईटो की दीवारो से चुनवाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।

3.	04	भूखण्ड संख्या–02, ग्रीन नगर, दुर्गापुरा की अनुमोदित योजना।	15.06.2022	जोन–04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित दुर्गापुरा की अनुमोदित योजना, ग्रीन नगर के भूखण्ड संख्या–02 क्षेत्रफल 300 वर्गगज में सैटबैक व बिल्डिंग बायालॉज का गंभीर उल्लघंन कर अवैध चार मंजिला वृहद व्यावसायिक बिल्डिंग के निर्माणाधीन होने पर अवधान में आते ही 23.12.2021 को जेडीए की धारा 32, 33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबन्द किया गया आगे अवैध निर्माण नहीं होने देने हेतु मौके पर गार्ड नियुक्त किये गये। उसके उपरान्त भी अवैध निर्माण कार्य जारी रखने पर दिनांक 14.06.2022 को सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34(क) जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर इस वृहद व्यावसायिक बिल्डिंग में व्यावसायिक गतिविधियां प्रारम्भ होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार दिनांक 15.06.2022 को उक्त अवैध चार मंजिला वृहद व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारो सिढीयों को जविप्रा की इंजिनियरिंग शाखा से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटो पर ताला सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।
4.	05	भूखण्ड संख्या 52, माधव नगर, दुर्गापुरा।	25.06.2022	जोन–05 के क्षेत्राधिकार दुर्गापुरा में अवस्थित गैरअनुमोदित आवासीय योजना माधव नगर में भूखण्ड संख्या 52 में करीब 58.8 बाई 11 वर्गफीट में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के 04 दुकानो का अवैध निर्माण कर आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की बार–बार शिकायतें प्राप्त होने पर नियमानुसार दिनांकः 03.02.2022 को धारा 32, 33 जविप्रा अधिनियम के तहत् नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी प्रथम मंजिल का निर्माण करने पर दिनांक 13.04.2022 को पुनः जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 जविप्रा अधिनियम के तहत् नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी आवासीय भूखण्ड में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की बार–बार शिकायते प्राप्त होने पर दिनांक 24.03.2022 को धारा 34(क) जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर नियमानुसार दिनांक 25.06.2022 को राजस्व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर जविप्रा की इंजिनियरिंग शाखा की मदद से उक्त अवैध व्यावसायिक 04 दुकानो के के शटरो को बन्द कर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक 04 दुकाने	वर्तमान में सील है।

प्रवर्तन अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण

5.	02	खसरा नं. 278, 301, 302 व 304 आकेडा डूंगर, सीस्यावास।	01.07.2022	जोन–02 के क्षेत्राधिकार में वी.के.आई. आकेडा डूंगर से आगे अवस्थित ग्राम–सीस्यावास के खसरा नं. 278, 301, 302 व 304 में विगत दिवसो में रातों–रात मौका पाकर कृषि भूमि का बिना भूरूपान्तरण कराये जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के नवीन अवैध कॉलोनी काटी जाकर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लघंन कर करीब 500 वर्गगज कृषि भूमि पर बने 10 अवैध विलाजो का ढांचा खड़ा कर फिनिशिंग का कार्य कराने पर दिनांकः 19.04.2022 को अवधान में आते ही जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबन्द किया गया आगे अवैध निर्माण नहीं होने देने हेतु मौके पर गार्ड नियुक्त किये गये। उक्त प्रकरण में अपीलीय अधिकरण जविप्रा द्वारा अपील संख्या 456/22 में यथास्थिति आदेश के बाद जविप्रा की और से पूर्ण सटीक पक्ष रखा गया। दिनांकः 21.06.2022 को स्थगन आदेश खारिज होने के बाद उक्त विलाज में रहवास हो जाने की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 30.06.2022 को धारा 34(क) जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर नियमानुसार दिनांकः 01.07.2022 को अवैध रूप से बनाये गये उक्त अवैध व्यावसायिक 10 विलाज के प्रवेश द्वारो को जविप्रा की इंजिनियरिंग शाखा से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटो पर ताला, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक 10 विलाज	वर्तमान में सील है।
6.	07	भूखण्ड संख्या–ई–1/131, चित्रकुट योजना	05.07.2022	जोन–07 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित चित्रकुट योजना के भूखण्ड संख्या–ई–1/131 में जीरो सेटबेक पर बिल्डिग बायलॉज का गंभीर उल्लघंन कर जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बेसमेंन्ट + 4 मंजिला गंभीर प्रकृति का वृहद अवैध व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बिल्डिग का अवैध निर्माण किये जाने का अवधान में आते ही दिनांक 30.12.2021 को धारा 32,33 जेडीए एक्ट का नोटिस जारी कर अवैध निर्माण को रूकवाया जाकर हटाने हेतु पाबंद किया गया। लेकिन अवैध निर्माणकर्ता द्वारा आगे अवैध निर्माण जारी रखने पर अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजार–उपकरणों की दिनांक 31.12.2021, 03.01.2022 व 01.07.2022 को जप्तियॉ की जाने पर भी अवैध निर्माण कार्य जारी रखने पर वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिग में अवैध रहवास–व्यावसायिक गतिविधिया संचालित होने की प्रबल संम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 04.07.2022 को धारा 34(क) जेडीए एक्ट का नोटिस जारी कर दिनांक 05.07.2022 को उक्त अवैध बिल्डिग के प्रवेश द्वारों, सिढीयों इत्यादि को इंजीनियरिग शाखा की मदद से ईटों की दीवारो से चुनवाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गयी।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।

7.	07	भूखण्ड़ संख्या 90, स्वर्णपुरी सिरसी रोड।	19.07.2022	जोन–07 के क्षेत्राधिकार के क्षेत्राधिकार सिरसी रोड़ पर अवस्थित गैरअनुमोदित योजना स्वर्णपुरी में भूखण्ड़ संख्या 90 में क्षेत्रफल करीब 266.66 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति एवं स्वीकृति जीरो सेटबेक पर बिल्डिग बायलॉज का गंभीर उल्लघंन कर बेसमेंन्ट+3 मंजिला निर्माणाधीन वृहद अवैध बिल्डिंग 06 फ्लेटस की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण किये जाने का अवधान में आते ही दिनांक 01.03.2022 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबन्द किया गया था। लेकिन बिल्डर द्वारा अवैध निर्माण को आगे जारी रखा गया। जिस पर नियमानुसार जप्तियॉ की कार्यवाही की गई। उक्त अवैध गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण के पूर्ण होकर रहवास की प्रबल संम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 18.07.2022 को धारा 34(क) जेडीए एक्ट का नोटिस जारी कर नियमानुसार विहित प्रकिया अपनाकर दिनांक 19.07.2022 को इंजीनियरिग शाखा की मदद से उक्त अवैध बिल्डिग के प्रवेश द्वारों, सिढीयों इत्यादि को ईटों की दीवारो से चुनवाकर ताले, सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गयी।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग–06 फ्लेटस	वर्तमान में सील है।
8.	04	भूखण्ड संख्या सी–32, सवाई गेटोर जगतपुरा।	28.07.2022	जोन–04 के क्षेत्राधिकार सवाई गेटोर जगतपुरा रोड पर अवस्थित गैर अनुमोदित योजना शंकर विहार में भूखण्ड संख्या सी–32 में क्षेत्रफल करीब 194.44 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमाति एवं स्वीकृति जीरो सेटबेक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लघंन कर पूर्व से निर्मित एक मंजिला निर्माण को दक्षिण दिशा से तोडकर सम्पूर्ण सेटबेक को कवर कर बेसमेन्ट+3 मंजिला व्यावसायिक ढांचा खडा कर चौथी मंजिल के लिए पिल्लर खडे कर निर्माणाधीन वृहद अवैध बिल्डिंग की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गयी। उक्त गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण का अवधान में आते ही दिनांक 18.05.2022 को धारा 32, 33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबन्द किया गया था। लेकिन अवैध निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण को जारी रखा गया। जिस पर नियमानुसार जप्तियो की कार्यवाही की गयी। उक्त अवैध गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध निर्माण के पूर्ण होकर रहवास–व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल संभ्भावनोओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 27.07.2022 को धारा 34(क) जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर नियमानुसार विहित प्रकिया अपनाकर दिनांक 27.07.2022 को जोन–04 के राजस्व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर जविप्रा की इंजिनियरिंग शाखा की मदद से अवैध बिल्डिंग के प्रवेश द्वारो को ईटो की दीवारो से चुनवाकर ताले सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।

प्रवर्तन अधिकारी
जोन–4
जयपुर विकास प्राधिकरण

9.	13	खसरा नं. 713/2533, 174/2536, 2533/50	30.07.2022	जोन–13 के क्षेत्राधिकार में ईकोलॉजिकल जोन में अवस्थित ग्राम–कूकस के खसरा नं. 713/2533, 174/2536, 2533/50 में कृषि भूमि पर बिना भू–रूपान्तरण कराये पूर्व से संचालित महाराणा ग्रीन रिसोर्ट के पिछले हिस्से में जविप्रा की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के 40 बाई 30 फीट में तीन मंजिल एवं पास ही 50 बाई 40 फीट में चार मंजिला वृहद होटलनुमा व्यावसायिक अवैध निर्माण करने का अवधान में आते ही दिनांक 01.06.2022 को धारा 32, 33 जविप्रा अधिनियम के (तहत) अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु पाबन्द किया गया था। अवैध निर्माण नहीं हटाने पर ईकोलोजिकल जोन में उक्त वृहद व्यावसायिक निर्माण के पूर्व होकर संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 29.07.2022 को धारा 34(क) जेडीए एक्ट का नोटिस जारी किया जाकर दिनांक 30.07.2022 को जोन–13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर पर जविप्रा की इंजिनियरिंग शाखा की मदद से वृहद अवैध होटलनुमा व्यावसायकि ढ़ाचे के प्रवेश द्वारों, सिढीयों इत्यादि को ईटों की दीवारो से चुनवाकर ताले, सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गयी।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।
10.	07	भूखण्ड़ संख्या 4/151ए चित्रकूट योजना, वैशाली नगर।	02.08.2022	जोन–07 के क्षेत्राधिकार वैशाली नगर के पास अवस्थित चित्रकूट योजना में भूखण्ड़ संख्या 4/151ए में क्षेत्रफल करीब 302 वर्गगज में पूर्व से निर्मित बेसमेन्ट+3 मंजिल के ढ़ाचे को बिल्ड़र द्वारा जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के जीरो सैटबैक पर बिल्ड़िग बायलॉज का गंभीर उल्लघंन कर नये सिरे से अल्ट्रेशन कर एक अतिरिक्त मंजिल; लिफ्ट लगाते हुये बनी बेसमेन्ट/चार मंजिला वृहद अवैध बिल्ड़िग–07 फ्लेटस की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद स्तर के अवैध निर्माण का अवधान में आते ही बिल्ड़र को दिनांकः 25.09.2021 को धारा 32, 33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबन्द किया गया था। जिस पर नियमानुसार जप्तियों की कार्यवाही की गई। लेकिन मौका पाकर बिल्ड़र द्वारा अवैध निर्माण पूर्ण करते हुये बैसमेन्ट+04 मंजिला वृहद अवैध बिल्ड़िग–07 अवैध फ्लेटस का निर्माण पूर्ण कर लिया जो कि वृहद स्तर का अवैध निर्माण हैं। उक्त अवैध गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध निर्माण के पूर्ण होकर अवैध रहवास हो जाने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांकः 01.08.2022 को धारा 34(क) जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाकर दिनांक 02.08.2022 को जोन–07 के राजस्व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर जविप्रा की इंजिनियरिंग शाखा की मदद से उक्त अवैध बिल्डिंग के प्रवेश द्वारो, सिढ़ीयों इत्यादि को ईटो की दीवारो से चुनवाकर ताले सील चपड़ी लगाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्ड़िग–07 फ्लेटस	वर्तमान में सील है।

11.	04	भूखण्ड़ संख्या 441 महावीर नगर प्रथम आवासीय योजना।	18.08.2022	जोन–04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित आवासीय योजना महावीर नगर प्रथम के भूखण्ड़ संख्या 441 में क्षेत्रफल करीब 311 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के जीरो सैटबैक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लघंन करते हुये बैसमेन्ट+4 मंजिला वृहद व्यावसायिक बिल्डिंग–13 कमरे, रसोई, लेटबाथ इत्यादि पी.जी. हॉस्टल निर्माणाधीन अवैध निर्माण की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद स्तर के अवैध व्यावसायिक निर्माण का अवधान में आते ही निर्माणकर्ता को दिनांकः 14.07.2021 को धारा 32, 33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर हटाने हेतु पाबन्द किया गया था। फिर भी अवैध निर्माण जारी रखा जिस पर नियमानुसार जप्तियां की कार्यवाही की गई। लेकिन उसके उपरान्त भी मौका पाकर अवैध निर्माण जारी रखते हुये बैसमेन्ट+4 मंजिला वृहद अवैध बिल्डिंग (पी.जी. हॉस्टल)–13 कमरे मय लेटबाथ, रसाई का निर्माण जो की वृहद स्तर का अवैध निर्माण हैं। उक्त अवैध गंभीर प्रकृति के वृहद व्यावसायिक बिल्डिंग का अवैध निर्माण पूर्ण होकर अवैध रहवास–व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 17.08.2022 को धारा 34(क) जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाकर दिनांक 18.08.2022 को जोन–04 के राजस्व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर जविप्रा की इंजिनियरिंग शाखा की मदद से उक्त अवैध बिल्डिंग के प्रवेश द्वारो, सिढ़यो इत्यादी को ईटो की दीवारो से चुनवाकर, ताले, सील, चपडी लगाकर सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग–13 कमरे	वर्तमान में सील है। प्रवर्तन अधिकारी जोन–4 जयपुर विकास प्राधिकरण

12.	10	जाटो की ढ़ाणी, जयसिंहपुरा।	23.08.2022	जोन–10 के क्षेत्राधिकार ईकॉलोजिकल जोन क्षेत्र में अवस्थित जाटो की ढ़ाणी के पास जयसिंहपुरा में कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये जविप्रा की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के क्षेत्रफल करीब 875 वर्गगज में गंभीर प्रकृति की वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्ड़िग–04 मंजिला होटल (66 कमरे मय लेट–बाथ व अन्य निर्माण) की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद स्तर के अवैध व्यावसायिक निर्माण का अवधान में आते ही निर्माणकर्ता को दिनांकः 09.05.2022 को धारा 32, 33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर हटाने हेतु पाबन्द किया गया था। लेकिन अवैध निर्माण कार्य जारी रखने पर निर्माण कार्य में प्रयुक्त औजारो की जप्ती की जाकर आगे अवैध निर्माण कार्य नहीं होने देने हेतु मौके पर गार्ड नियुक्त किये गये। उक्त संबंध में अपीलीय अधिकरण जविप्रा के आदेश की अनुपालना में विधिसम्मत कार्यवाही कर सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 22.08.2022 को धरा 34(क) जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर नियमानुसार विहित प्रकिया अपनाकर दिनांक 23.08. 2022 को जोन–10 के राजस्व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर जविप्रा की इंजिनियरिंग शाखा की मदद से उक्त अवैध बिल्डिंग के प्रवेश द्वारो, सिढ़यो इत्यादी को ईटो की दीवारो से चुनवाकर, ताले, सील, चपडी लगाकर पुख्तासीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त अवैध व्यावसायिक बिल्ड़िग–होटल में रॉयल रोहित रिजोर्ट चलाता था। वर्तमान में भी यह गूगल मेप पर ऑनलाईन टेग हैं तथा जिस पर शादी/समारोह की फोटोज अपलोड किये हुये हैं।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग–04 मंजिला होटल 66 कमरे	वर्तमान में सील है।

13.	8	भूखंड संख्या-254ए 255 महावीर नगर-वाई ब्लॉक सांगानेर	30.082022	जोन-08 क्षेत्राधिकार में अवस्थित महावीर नगर-वाई ब्लॉक सांगानेर में भूखंड संख्या-254ए 255 कुल क्षेत्रफल 622 वर्गगज में बिना पुनर्गठन कराये जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर सैटबैक कवर करते हुए बेसमेंट+ तीन मंजिल की वृहद अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग का निर्माण करने पर दिनांक 31.05.2022 को धारा 32ए 33 जेडीए एक्ट के नोटिस जारी जाकर अवैध निर्माण रूकवाये जाने के उपरांत भी निर्माण कार्य जारी रहने एवं निर्माण कार्य पूर्ण होकर उक्त वृहद अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग में अवैध रहवास-व्यवसायिक गतिविधि संचालित होने की प्रबल संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम स्तर से सीलिंग आदेश प्राप्त कर दिनांक 29.08.2022 को धारा 34;क) जेडीए एक्ट का नोटिस जारी किया जाकर आज दिनांक 30.08.2022 को उक्त अवैध बिल्डिंग को प्रवेश द्वारों को इंजीनियरिग शाखा की मदद से शटर पर ताले सील चपड़ीए ईटो की दीवार चुनवाकर पुख्ता सीलिंग किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चत की गयी।	अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।
14.	8	भूखंड संख्या-245 महावीर नगर-वाई ब्लॉक सांगानेर	30.08.2022	जोन-8 क्षेत्र महावीर नगर-वाई ब्लॉकए सांगानेर में ही भूखंड संख्या 245ए कुल क्षेत्रफल 311 वर्गगज जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर सैटबैक कवर करते हुए बेसमेंट+ तीन मंजिल का ढांचा खड़ा कर तृतीय मंजिल में पिलर खड़े कर वृहद अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग का निर्माण करने पर दिनांक 26.07.2022 को धारा 32ए 33 जेडीए एक्ट के नोटिस जारी जाकर अवैध निर्माण रूकवाये जाने के उपरांत भी निर्माण कार्य जारी रहने एवं निर्माण कार्य पूर्ण होकर उक्त वृहद अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग में अवैध रहवास-व्यवसायिक गतिविधि संचालित होने की प्रबल संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम स्तर से सीलिंग आदेश प्राप्त कर दिनांक 29.08.2022 को धारा 34;क) जेडीए एक्ट का नोटिस जारी किया जाकर आज दिनांक 30.08.2022 को उक्त अवैध बिल्डिंग को प्रवेश द्वारों को इंजीनियरिग शाखा की मदद से शटर पर ताले सील चपड़ी व ईटो की दीवार चुनवाकर पुख्ता सीलिंग किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चत की गयी।	अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।

15.	8	भूखंड संख्या 81ए सचिवालय विहारए रीको कांटा सांगानेर जयपुर	30.08.2022	जोन-8 क्षेत्र में ही सचिवालय विहारए रीको कांटा सांगानेर जयपुर के भूखंड संख्या 81ए में कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग गज में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर सैटबैक कवर करते हुए बेसमेंट+ग्राउण्ड+तीन मंजिल का वृहद अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग का निर्माण करने पर दिनांक 13.08.2022 को धारा 32ए 33 जेडीए एक्ट के नोटिस जारी जाकर अवैध निर्माण रूकवाये जाने के उपरांत भी निर्माण कार्य जारी रहने एवं निर्माण कार्य पूर्ण होकर उक्त वृहद अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग में अवैध रहवास-व्यवसायिक गतिविधि संचालित होने की प्रबल संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम स्तर से सीलिंग आदेश प्राप्त कर दिनांक 29.08.2022 को धारा 34;क) जेडीए एक्ट का नोटिस जारी किया जाकर आज दिनांक 30.08.2022 को उक्त अवैध बिल्डिंग को प्रवेश द्वारों को इंजीनियरिग शाखा की मदद से ईटो की दीवार चुनवाकर पुख्ता सीलिंग किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चत की गयी।	अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।
16.	12	भूखण्ड़ संख्या एस–140, जनकपुरी कालवाड रोड।	31.08.2022	जोन–12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित कालवाड रोड पर गैरअनुमोदित योजना जनकपुरी में भूखण्ड संख्या एस–140 में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर जीरो सेटबेक पर 04 मंजिला की वृहद व्यावसायिक बिल्डिंग (तीन मंजल व्यावसायिक व चोथी मंजिला आवासीय) का निर्माण के अवधान में आते ही दिनांक 23.06.2022 को धारा 32, 33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर हटाने हेतु पाबन्द किया गया अवैध निर्माण नहीं होने देने हेतु गार्ड लगाया गया। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के नोटिस विरूद्ध माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण, जविप्रा, जयपुर में अपील दायर की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा रिमांड किया जाने पर विधिक प्रकिया अपनाते हुये दिनांक 23.08.2022 को विधिक नाटिस दिया गया। उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण होकर अवैध रहवास–व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से सीलिंग आदेश प्राप्त कर दिनांक 30.08.2022 को उक्त अवैध बिल्डिंग के प्रवेश द्वारो इत्यादि को ईटो की दीवारो से चुनवाकर शटर पर ताले सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।

17.	PRN(S)	भूखण्ड संख्या 38, 39, कृष्णा नगर, सांगानेर जयपुर।	01.09.2022	जोन–पीआरएन(साउथ) के क्षेत्राधिकार में अवस्थित कृष्णा नगर सांगानेर जयपुर में भूखण्ड संख्या 38, 39 क्षेत्रफल करीब 568 वर्गगज में उक्त दो भूखण्डो को अवैध रूप से एकीकृत करते हुये जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के जीरो सेटबेक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर बेसमेन्ट+03 मंजिला वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण करना अवधान में आने पर निर्माणकर्ता को दिनांक 17.06.2022 को धारा 32, 33 जविप्रा अधिनियम के तहत् नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रूकवाया गया था। एवं उक्त वृहद स्तर के अवैध व्यावसायिक निर्माण को हटाने हेतु पाबन्द किया गया था जिसके बावजूद भी भूस्वामी द्वारा अवैध निर्माण को जारी रख कर फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर समय–समय पर अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजार–उपकरणों को जप्त किया जाकर जप्ती की कार्यवाही की गई। उक्त अवैध निर्माण के संबंध में जोन उपायुक्त कार्यालय से अतिक्रमण प्रफोर्मा रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं समस्त दस्तावेज के अवलोकन उपरान्त अवैध निर्माण पूर्ण होकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से सीलिंग आदेश प्राप्त कर दिनांक 31.08.2022 को धारा 34(क) का नोटिस जारी किया जाकर दिनांक 01.09.2022 को उक्त अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारो इत्यादि को को ईटो की दीवारो से चुनवाकर गेटो पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।

18.	PRN(S)	भूखण्ड़ संख्या ए–7 न्यू सचिवालय विहार, कल्याणपुरा, सांगानेर जयपुर।	03.09.2022	जोन–पीआरएन(साउथ) के क्षेत्राधिकार में अवस्थित न्यू सचिवालय विहार, कल्याणपुरा, सांगानेर जयपुर के भूखण्ड़ संख्या ए–7 क्षेत्रफल 339 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के जीरो सैटबैक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर पूर्व निर्मित ग्राउण्ड फ्लोर के उपर 02 मंजिला पूरी व 01 मंजिल आंशिक कुल 03 मंजिल का नवीन अवैध वृहद व्यावसायिक निर्माण का करना अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांकः 22.03.2022 को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट का नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण को रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु भूस्वामी को पाबन्द किया गया था। इसके बावजूद भी भूस्वामी द्वारा अवैध निर्माण को जारी रखने पर समय–समय पर अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजारो को जप्त किया जाकर जप्ती की कार्यवाही की गई। उक्त अवैध निर्माण के संबंध में जोन उपायुक्त कार्यालय से अतिक्रमण प्रफोर्मा रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं समस्त दस्तावेजो के अवलोकन उपरान्त उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण की प्रथम व द्वितीय मंजिल को सक्षम स्तर से सीलिंग आदेश प्राप्त कर दिनांक 02.09.2022 को धारा 34(क) का नोटिस जारी किया जाकर दिनांक 03.09.2022 को उक्त वृहद व्यावसायिक निर्माण की प्रथम व द्वितीय मंजिल के प्रवेश द्वारो सिढ़ीयों इत्यादि को इंजिनियरिंग शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।

19.	07	भूखण्ड संख्या बी–215, वैशाली नगर जयपुर	08.09.2022	जोन–07 के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में अवस्थित वैशाली नगर जयपुर के भूखण्ड संख्या बी–215 में क्षेत्रफल करीब 216 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर जीरो सेटबेक पर बेसमेंन्ट + 5 मंजिला वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण करना अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 28.08.2022 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी भूस्वामी द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया और ना ही नियमन योग्य निर्माण के नियमादि की कार्यवाही की गयी; उक्त अवैध निर्माण के संबंध में तकनिकी व राजस्व टीम से अतिक्रमण प्रफोर्मा रिपोर्ट प्राप्त कर समस्त दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त निर्माणाधीन वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण होकर अवैध रहवास–व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 07.09.2022 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 08.09.2022 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को ईटों की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय–खर्चे की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जावेगी।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।
20.	06	प्लाट नं.–07 शंकर नगर मुरलीपुरा थाने के सामने	08.09.2022	जोन–06 के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में अवस्थित मुरलीपुरा थाने के सामने व रामा टेलीकॉम के सामने मुख्य रोड़ पर प्लाट नं.–07 शंकर नगर में क्षेत्रफल करीब 333.33 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर जीरो सेटबेक पर बेसमेंन्ट + 04 मंजिला वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का अवैध निर्माण किया जाना अवधान में आने पर दिनांक 08.05.2022 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने व आगे अवैध निर्माण नही होने देने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया व आगे अवैध निर्माण जारी रखने व निर्माण पूर्ण होकर अवैध रहवास–व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 07.09.2022 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 08.09.2022 को उक्त वृहद अवैध निर्माणाधीन व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों इत्यादि को ईटों की दीवारो से चुनवाकर, गेट पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय–खर्चे की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जावेगी।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।

21.	12	भूखण्ड संख्या 63 से 72 अंशिका विहार सिरसी रोड।	08.09.2022	जोन–12 के क्षेत्राधिकार में सिरसी रोड़, सिवार मोंड़ पर अवस्थित गैर अनुमोदित योजना अंशिका विहार में जविप्रा की बिना अनुमति स्वीकृति के भूखण्ड संख्या 63 से 72 तक में बिल्डर द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ कुल 10 अवैध विलाजों का अवैध निर्माण किया जाने पर दिनांकः 06.07.2022 को धारा 32,33 जेडीए अधिनियम 1982 के तहत नोटिस जारी किये जाकर इस गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण को रूकवाया जाकर अवैध निर्माण को हटाने पाबंद किया गया आगे अवैध निर्माण नही होने देने हेतु मौके पर गार्ड नियुक्त किये गये। प्रकरण में निर्माणकर्ता द्वारा अपीलीय अधिकरण, जविप्रा में दायर अपील में दिये आदेश की अनुपालना में विधिक प्रकिया अपनाकर उक्त अवैध 10 अवैध विलाजो में रहवास की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कल दिनांक 07.09.2022 जेडीए अधिनियम की धारा 34(क) के नोटिस जारी कर कृषि भूमि पर अवैध रूप से बनाये गये उक्त 10 अवैध विलाजों के प्रवेश द्वारो, गेटो पर ताले व सील चपडी लगाकर जविप्रा की इंजिनियरिगं शाखा की मदद से नियमानुसार आज दिनांक 08.09.2022 को नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। संबंधित से जेडीए की सीलिंग की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा–वसूली की कार्यवाही की जायेगी।	अवैध व्यावसायिक 10 अवैध विलाज	वर्तमान में सील है।
22.	04	भूखण्ड संख्या 51, पंचशील कॉलोनी दुर्गापुरा।	20.09.2022	जोन–04 के क्षेत्राधिकार दुर्गापुरा में अवस्थित गैर अनुमादित योजना पंचशील कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 51 में क्षेत्रफल करीब 266 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर जीरो सेटबेक पर बेसमेंन्ट सहीत कुल 05 मंजिला वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माणाधीन होना अवधान में आने पर निर्माणकर्ता को दिनांक 18.07.2022 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी भूस्वामी द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया आगे अवैध निर्माण कार्य जारी रखने एवं निर्माणाधीन वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण होकर अवैध रहवास–व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 19.09.2022 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 20.09.2022 को उक्त आवासीय भूखण्ड में किये गये वृहद अवैध व्यावसायिक बेसमेंन्ट + 04 मंजिला बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, खिडकियॉ इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटों की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय–खर्चे की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जावेगी।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है। प्रवर्तन अधिकारी जोन–4 जयपुर विकास प्राधिकरण

23.	04	भूखण्ड संख्या 7, 8, 10 एवं 11 रेखा पटेल कॉलोनी मालवीय नगर।	20.09.2022	जोन–04 के क्षेत्राधिकार में मालवीय नगर मॉडल टाउन में अवस्थित गैर अनुमोदित योजना रेखा पटेल कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 7, 8, 10 एवं 11 कुल चार भूखण्डो क्षेत्रफल करीब 900 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति स्वीकृति के बिना एकीकरण कराये जीरो सेटबेक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ गंभीर प्रकृति के वृहद 08 अवैध डूप्लेक्सो का निर्माणाधीन होना अवधान में आने पर दिनांकः 08.07. 2022 को धारा 32,33 जेडीए अधिनियम 1982 के तहत 04 नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रूकवाया जाने के उपरान्त भी आगे अवैध निर्माण कार्य जारी रखने एवं 08 अवैध डूप्लेक्सो पूर्ण होकर रहवास अथवा तृतीय पक्ष को बेचान/अधिकार स्थापित करने की पूर्ण सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 19.09.2022 जेडीए अधिनियम की धारा 34(क) के नोटिस जारी किये जाकर आज दिनांक उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध 08 व्यावसयिक डूप्लेक्सो के प्रवेश द्वारो, खिडकियों इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर गेटो पर ताले व सील चपडी लगाकर नियमानुसार दिनांक 20.09.2022 को नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। संबंधित से जेडीए की सीलिंग की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा–वसूली की कार्यवाही की जायेगी।	अवैध व्यावसायिक 08डूप्लेक्स	वर्तमान में सील है। प्रवर्तन अधिकारी जोन–4 जयपुर विकास प्राधिकरण
24.	पीआरएन (साउथ)	भूखण्ड संख्या 332, सुमेर नगर–प्रथम जयपुर।	21.09.2022	जोन–पीआरएन(साउथ) के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में अवस्थित सुमेर नगर–प्रथम जयपुर के भूखण्ड संख्या 332 में क्षेत्रफल करीब 240 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर जीरो सेटबेक पर बेसमेंन्ट सहीत 4 मंजिला वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माणाधीन होना अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 04. 09.2022 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी भूस्वामी द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध निर्माण के संबंध में तकनिकी व राजस्व टीम से अतिक्रमण प्रफोर्मा रिपोर्ट प्राप्त कर समस्त दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त निर्माणाधीन वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण होकर अवैध रहवास–व्यावसायिक गतिविधियॉं संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कल दिनांक 20.09.2022 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 21.09.2022 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।

25.	07	खसरा नं. 320, ग्राम–हरनाथपुरा।	21.09.2022	जोन–07 के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में अवस्थित ग्राम–हरनाथपुरा के खसरा नं. 320 की कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के 110 X 40 फीट क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित तीन मंजिला स्कूल की अनियमित वृहद बिल्डिंग पर 40 X 110 फीट क्षेत्रफल में वृहद तीन नवीन अवैध मंजिलो की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त पूर्व निर्मित बिल्डिंग में एस.एस. इन्टरनेशल स्कूल संचालित है। जिसमें ऊपर अब तीन नवीन अवैध मंजिल का वृहद स्तर का अवैध निर्माण करना अवधान में आने पर दिनांक 16.08.2022 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी भूस्वामी द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया और अवैध निर्माण जारी रखा। उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध निर्माण के संबंध में तकनिकी व राजस्व टीम से अतिक्रमण प्रफोर्मा रिपोर्ट प्राप्त कर समस्त दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त उक्त वृहद स्तर के नवीन तीन मंजिला अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर कल दिनांक 20.09.2022 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 21.09.2022 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।
26.	06	प्लॉट नं. 38, अशोक विहार कॉलोनी, चौमू पुलियां के पास।	22.09.2022	जोन–06 के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में चौमू पुलिया के पास अवस्थित गैर अनुमोदित आवासीय योजना अशोक विहार कॉलोनी के प्लाट नं. 38 क्षेत्रफल करीब 290 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर जीरो सेटबेक पर बेसमेंन्ट + 4 मंजिला वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग–12 फ्लैटस व पांचवी मंजिल पर करीब 25X15 फीट में एक कमरा बनाकर गंभीर प्रकृति की वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण किये जाना अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 10.08.2022 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी भूस्वामी द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध निर्माण के संबंध में तकनिकी व राजस्व टीम से अतिक्रमण प्रफोर्मा रिपोर्ट प्राप्त कर समस्त दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त निर्माणाधीन वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग–12 फ्लैटस का निर्माण पूर्ण होकर अवैध रहवास–व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 21.09.2022 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 22.09.2022 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, रस्सी, तार इत्यादि बांधकर सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग–12 फ्लैटस	वर्तमान में सील है।

27.	PRN(S)	भूखण्ड संख्या—4 न्यू संचिवालय विहार जयपुर	28.09.2022	जोन—PRN(S) के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में अवस्थित न्यू संचिवालय विहार जयपुर के भूखण्ड संख्या—4 में क्षेत्रफल करीब 275 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर जीरो सेटबेक पर बेसमेंन्ट+3 मंजिल के ऊपर पिल्लर निकालकर निर्माणाधीन वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण करना अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 09.08.2022 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी भूस्वामी द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया और ना ही नियमन योग्य निर्माण के नियमादि की कार्यवाही की गयी; भूस्वामी द्वारा जारी नोटिसों के विरूद्व माननीय न्यायालय जविप्रा में अपील दायर की गयी; प्रभावी ढग से जविप्रा का पक्ष पुर्णता से रखा गया; माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार विधिक प्रक्रिया अनुसार उक्त अवैध निर्माण के संबंध में तकनीकी व राजस्व टीम से अतिक्रमण प्रफोर्मा रिपोर्ट प्राप्त कर समस्त दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त निर्माणाधीन वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण होकर अवैध रहवास—व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त दिनांक 27.09.2022 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 28.09.2022 को जविप्रा की इंजिनियरिग शाखा की मदद से उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को ईटों की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।

28.	08	हरितवालो की ढाणी ग्राम–शिकारपुरा सायपुरा रोड।	06.10.2022	जोन–08 के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में अवस्थित ग्राम–शिकारपुरा सायपुरा रोड़ हरितवालो की ढाणी में करीब 100X120 वर्गगज में कृषि भूमि पर ही जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिना भूरूपान्तरण कराये व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अवैध रूप से बनायी जा रही वृहद फैक्ट्री का निर्माण किये जाना अवधान में आने पर निर्माणकर्ता को दिनांक 21.07.2022 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी अवैध निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया निर्माणकर्ता द्वारा जारी नोटिसो के विरूद्व माननीय अपीलीय न्यायालय जविप्रा में अपील दायर कर स्थगन प्राप्त कर लिया; स्थगन आदेश पर जविप्रा द्वारा अपना पक्ष माननीय न्यायालय में पूर्णता, सटीकता से प्रभावी ढग से रखा गया; दिनांक 28.09.2022 को स्थगन आदेश खारिज होने पर विधिक प्रक्रिया अनुसार उक्त अवैध व्यावसायिक फैक्ट्री को सील करने की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर कल दिनांक 05.10.2022 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 06.10.2022 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक फैक्ट्री के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक फैक्ट्री	वर्तमान में सील है।

29.	09	भूखण्ड संख्या–47 इन्द्रविहार कॉलोनी	06.10.2022	जोन–09 के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में अवस्थित आबकारी रोड़, कोचिग हब के पास अनुमोदित योजना इन्द्रविहार कॉलोनी के भूखण्ड संख्या–47 क्षेत्रफल करीब 265 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंधन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बनी पाच मंजिला वृहद अवैध बिल्डिंग–13 फ्लेटस का निर्माण करना अवधान में आने पर चेक करवाया गया; बिल्डर द्वारा पाच फ्लेटस में परिवार रहवास करवा दिया होना व 08 फ्लेट्स खाली पाये जाने पर बिल्डर व पाच फ्लेट्स धारको व शेष के संबंध में बिल्डंर को दिनांक 16.07.2022 को धारा 32 जविप्रा अधिनियम के तहत कुल 06 नोटिस जारी किये जाकर अवैध निर्माण अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। एवं खाली 08 फ्लेट्स में रहवास नही होने देने के लिये मौके पर गार्ड नियुक्त किया गया। बिल्डर द्वारा जारी नोटिसो के विरूद्व माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण में अपील दायर कर स्थगन प्राप्त कर लिया; स्थगन आदेश पर जविप्रा द्वारा अपना पक्ष माननीय न्यायालय में पूर्णता, सटीकता से प्रभावी ढग से रखा गया; माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 26.07.2022 को स्थगन आदेश खारिज होने पर विधिक प्रकिया अनुसार उक्त अवैध व्यावसायिक पांच मंजिला बिल्डिंग–13 फ्लेट्स में से पाच परिवार रहवास के अतिरिक्त खाली 08 फ्लेट्स में रहवास की प्रबल सम्भावनाओ को दृष्टिगत रखते हुए सील करने की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर कल दिनांक 05.10.2022 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 06.10.2022 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक पाच मजिला बिल्डिंग में खाली 08 फ्लेट्स के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग–13 फ्लेटस	वर्तमान में सील है।

30.	08	भूखण्ड संख्या 245 केसर नगर मुहाना मण्डी रोड।	29.10.2022	जोन–08 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित अनुमोदित योजना केसर नगर मुहाना मण्डी रोड जयपुर के आवासीय भूखण्ड संख्या 245 क्षेत्रफल करीब 166 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के सैटबैक कवंर कर जीरो सैटबैक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लघंन कर बन रही बैसमेन्ट+04 मंजिला वृहद अवैध व्यावसायिक आवासीय बिल्डिंग के प्रवेश द्वारो इत्यादि को ईटो की दीवारो से चुनवाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण के अवधान में आने पर दिनांक 10.08.2022 को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी किये जाकर अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबन्द किया गया था। निर्माणकर्ता द्वारा जारी नोटिस के विरूद्ध माननीय अपीलीय अधिकरण जविप्रा में अपील संख्या 670/2022 प्रस्तुत की गई जविप्रा द्वारा अपना पक्ष माननीय न्यायालय में पूर्णत एवं सटीकता से प्रभावी ढ़ग से रखा गया; इस पर माननीय न्यायालय ने 15 दिन का समय देते हुये विधिक नोटिस एवं कारण आदेश जारी कर विधिसम्मत कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त बिल्डिंग को सील करने की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 28.10.2022 को अवैधनिर्माणकर्ता धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक 29.10.2022 को जोन–08 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर इंजिनियरिंग शाखा की मदद से उक्त अवैध बिल्डिंग के प्रवेश द्वारो सिढीयां इत्यादि को ईटो की चुनवाई कर गेटो पर सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग की गई।	अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषयः—दिनांकः 22.04.2022 से 02.11.2022 तक प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा सील की गई अवैध बिल्डिंग—व्यावसायिक भवनो की सूची जेडीए वेबसाईट पर अपलोड़ करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रवर्तन शाखा द्वारा दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 21.04.2022 तक कुल 101 अवैध बिल्डिंग—व्यावसायिक भवनो को सील किया जाकर सूची जेडीए की वेबसाईट पर अपलोड करवाया गयी है; इसी क्रम में दिनांक 22.04.2022 से 02.11.2022 तक प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा सील की गई **कुल—30** अवैध बिल्डिंग—व्यावसायिक भवनो की सूची जेडीए की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

संलग्नः—उपर्युक्तानुसार जोनवार सूची (कुल पृष्ठ—19)

07/11/2022

(रघुवीर सैनी)
मुख्य नियंत्रक—प्रवर्तन,

सिस्टम एनालिस्ट,
जविप्रा, जयपुर।

....

क्रमांकः—जविप्रा / मुनिप्र / 2022 / डी—3252 दिनांक 07/11/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ सादर प्रेषित हैः—

1. आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।

07/11/2022

(रघुवीर सैनी)
मुख्य नियंत्रक—प्रवर्तन

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2570640) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {CCEJDA31@gmail.com}